साप्ताहिक
बुलंद गोंदिया
खबरों का आईना
प्रधान संपादक : अभिषेक चौहान । संपादक : नवीन अग्रवाल
E-mail : bulandgondia@gmail.com | E-paper : bulandgondia.net | Office Contact No.: 7670079009 | R. No.: MAH-HIN-10169

वर्ष : 3 | अंक : 09 गोंदिया : गुरुवार, दि. 6 से 12 अक्टुबर 2022 ■ पृष्ठ : 4 ■ मूल्य : रु. 5

जांच में करोड़ों की संपत्ति पाई गई लावारिस अनाधिकृत निर्माण का मामला पहुंचेगा ईडी के पास

जिलाधिकारी ने अवैध निर्माण को तोड़कर भूमि शासन को जमा करने का दिया आदेश

बुलंद गोंदिया - गोंदिया शहर में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण करना व शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के अनेक मामले कई बार सामने आते हैं। साथ ही शासन की बिना मंजूरी के निर्माण कार्य भी धड़ल्ले से किया जाता है। इसी प्रकार के एक मामले में सिंधी कॉलोनी दशहरा मैदान स्थित नजूल सीट नंबर 25 प्लॉट नंबर 1/ 36, 1/37 के 2400 चौरस फीट भूमि 800 चौरस फीट की शासकीय जमीन पर निर्माण किए गए सपनों के आशियाने, जिसकी वर्तमान बाजार कीमत करोड़ों रुपए बताई गई है। जिसकी शासकीय जांच में कोई भी मालिक सामने नहीं आया, जिससे उपरोक्त संपत्ति लावारिस होने व अवैध निर्माण के चलते जिलाधिकारी द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को दिए गए आदेश के अनुसार अतिक्रमण को तोड़कर भूमि शासन को जमा की जाएंगी।

गौरतलब है कि सिंधी कॉलोनी दशहरा मैदान स्थित नजूल सीट नंबर 25 प्लॉट नंबर 1/36 व 1/37 में शासकीय रिकॉर्ड आखिव पत्रिका में नाम किसी और का दर्ज है तथा प्लाट की खरीदी बिक्री के नोटरी के दस्तावेज पर नाम किसी और का है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान स्थिति में उपरोक्त संपत्ति पर प्रभाग क्रमांक 15 के पूर्व पार्षद दिलीप गोपलानी व परिवार का निवास है। जिसे लेकर पूर्व में गोपलानी के खिलाफ नगर परिषद नगर पंचायत औद्योगिक अधिनियम 1965 के तहत गैर अनुपालन का मामला चल रहा था। जिसके कारण उनकी नगर परिषद की सदस्यता रद्द की गई थी। किंतु इस संदर्भ में नगर विकासमंत्री के समक्ष की गई अपील व दिए गए बयान व हलफनामे के अनुसार उस संपत्ति से उनका किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। जिस पर नगर विकासमंत्री द्वारा गोपलानी की सदस्यता बहाल कर जिलाधिकारी को अनाधिकृत निर्माण व संपत्ति के संदर्भ में जांच कर कार्यवाही करने का आदेश दिया था। जिसके पश्चात जिला प्रशासन द्वारा मामले की जांच उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, टाउन प्लानिंग अधिकारी व पटवारी को सर्वे के आदेश दिए थे। जिसमें तीन बार सर्वे कर अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। जिससे जांच में सामने आया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्लाट के मालिकाना हक के दस्तावेज पेश नहीं किए जाने के चलते 2400 चौरस फीट के भूखंड व उस पर बना करोड़ों रुपए का दो मंजिला मकान यह अवैध साबित हुआ है। इस मामले में जिलाधिकारी द्वारा सुनवाई करते हुए 1 अक्टूबर 2022 को जारी किए गए अपने आदेश के अनुसार उपरोक्त अवैध निर्माण को गिराने का आदेश नगर परिषद प्रशासन को देने के साथ ही उपरोक्त भूमि शासन को जमा करने का आदेश उपविभागीय अधिकारी गोंदिया को दिया है।

विशेष यह है कि इस प्रकरण में इसके पूर्व 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जिस पर राम गोपलानी द्वारा नोटरी दस्तावेज के आधार पर गोंदिया के नगर रचना विभाग में यह दावा किया था कि यह जमीन उनकी है तथा उनका नक्शा मंजूर किया जाए। जिस पर नगर रचनाकार द्वारा अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह नक्शा मंजूर नहीं हो सकता, क्योंकि उपरोक्त भूमि का रजिस्ट्री पत्र नहीं है तथा नोटरी के दस्तावेज के आधार पर मंजूरी नहीं दी जा सकती। राजु मोटवानी नामक व्यक्ति का नाम उपरोक्त भूमि पर आखीव पत्रिका में दर्ज बताया जा रहा है, किंतु राजू मोटवानी द्वारा प्लाट को लेकर कभी भी अपना दावा नहीं किया है। राम गोपलानी उपरोक्त जमीन को अपनी बता रहा है किंतु उसके पास रजिस्ट्री के दस्तावेज नहीं है तथा सर्वे के दौरान दिलीप गोपलानी ने अपने बयान में खुद यह कहा था कि यह जमीन मेरी नहीं है जिसके पश्चात उपरोक्त मामले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जांच की गई कि आखिरकार उपरोक्त भूमि पर बने मकान में वर्तमान में किसका पजेशन है तथा शासकीय प्लाट पर कब्जा कर मकान का निर्माण कौन कर रहा है किंतु मामले में कोई भी मालिक सामने नहीं आया।

उपरोक्त प्लाट वर्ष 2000 तक मोटवानी व अन्य को सरकार द्वारा लीज पर दिया गया था। जबकि उसका वर्तमान में कब्जा नहीं है तथा यहां अन्य किसी का भी कब्जा नही है। तो वर्तमान में कब्जा किसका है तथा किस व्यक्ति ने करोड़ों रुपए के अनाधिकृत निर्माण किया है। इस संपूर्ण प्रकरण में शासन की बिना मंजूरी के अनाधिकृत रुप से निर्माण किए जाने का मामला सामने आने पर जिलाधिकारी द्वारा नगर परिषद प्रशासन के प्रशासक व मुख्य अधिकारी करण चौहान को इमारत गिराने तथा उपरोक्त प्लाट की जमीन शासन जमा करने का आदेश उपविभागीय अधिकारी गोंदिया को दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि सर्वे रिपोर्ट में राम गोपलानी जहां रहता है वह मकान तो उसका अपना बता रहा है किंतु उसके मकान के सामने स्थित यह दो मंजिला मकान को अपना बताने से इंकार कर रहा है। शासन के नियमानुसार नोटरी के आधार पर टाइटल क्लियर नहीं होता भूमि का सिर्फ सेल परचेज एग्रीमेंट करना होता है तथा रजिस्ट्री होती है। किंतु उपरोक्त प्रकरण में प्लाट की रजिस्ट्री नहीं होने तथा दस्तावेजों में जिनका नाम है उनका कब्जा नहीं होने से उपरोक्त इमारत को अनाधिकृत घोषित किया गया है।

अनाधिकृत निर्माण की शिकायत करेंगे जांच एजेंसी से

सिंधी कॉलोनी दशहरा मैदान की भूमि के संदर्भ में आरटीआई कार्यकर्ता महेश वाधवानी द्वारा मामले की शिकायत की गई थी। जिसकी शिकायत की सच्चाई अब सामने आ गई है। जिसके आधार पर जिलाधिकारी द्वारा दिए गए अपने फैसले में उपरोक्त भूमि पर बने मकान को अनाधिकृत घोषित कर भूमि शासन जमा करने का आदेश दिया है। इस संदर्भ में महेश वाधवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि करोड़ों रुपए के इस अनाधिकृत निर्माण व निर्माण में कालाधन के इस्तेमाल की आशंका है। इस मामले की जांच हेतु जल्द ही जांच एजेंसी के समक्ष शिकायत करेंगे।

नकली शराब फैक्ट्री पर रावणवाड़ी पुलिस का छापा

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिला नकली शराब का गढ़ बन चुका है। इसके पूर्व भी अनेक देशी-विदेशी नकली शराब की फैक्ट्रियों पर कार्रवाई हो चुकी है। किंतु नकली शराब का निर्माण जिले में थम नहीं रहा है। इसी प्रकार का एक मामले में रावणवाड़ी पुलिस थाने को गुप्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात उसके आधार पर ग्राम खातिया में चल रही नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई कर 3,13,829 रुपए की देसी विदेशी शराब जप्त कर पांच आरोपियों को हिरासत में लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के दिन रावणवाड़ी पुलिस थाने को गुप्त जानकारी प्राप्त हुई कि ग्राम खातिया में ग्राम निवासी सुभाष रामचंद्र पालीवाल यह अपने घर में नकली शराब बनाने की फैक्ट्री चला रहा है। जिसमें देसी विदेशी शराब बनाकर बड़े पैमाने पर स्टाक किया गया है। जिसके पश्चात रावणवाड़ी पुलिस द्वारा नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मार कार्रवाई की गई। जिसमें करीब 100 अधिक देसी शराब के बक्से व विदेशी शराब में मेकडॉल नंबर वन व आईबी के करीबन 200 निर्मित शराब के बक्से जप्त किए गए। इसके साथ अन्य साहित्य भी जप्त किया गया। इस प्रकार कुल 3,13,829 की नकली शराब सहित सामग्री जप्त की गई तथा नकली शराब का निर्माण करने वाले पांच आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जिसमें सुभाषचंद्र दिनेशचंद्र पालीवाल, राजेश सुनील यादव, संदीप आमोद चंद्रिकापुरे, तरुण राजेश टेंभूरने, प्रकाश गोवर्धन अग्रवाल का समावेश है। उन पर रावणवाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कर भादवि की धारा 328 सहायक धारा 65ब, क, ड, फ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून के तहत मामला दर्ज कर तथा सभी पांचों आरोपियों को गोंदिया न्यायालय में पेश किया गया। जहां उन्हें 7 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। उपरोक्त मामले की जांच रावणवाड़ी पुलिस थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील अंभूरे द्वारा की जा रही है।

आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह

गोंदिया जिले में बड़े पैमाने पर अवैध रुप से निर्माण कर नकली शराब की बिक्री की जाती है। इसके साथ ही महुवा की कच्ची शराब भी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बनाई जाती है। किंतु गोंदिया जिले का आबकारी विभाग इन सभी गतिविधियों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जिससे गोंदिया जिला आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो रहा है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नकली शराब का निर्माण करनेवाले व कच्ची शराब का निर्माण करनेवालों से बड़े पैमाने पर वसूली कर उन्हें आबकारी विभाग का संरक्षण प्राप्त है। जिससे बेरोकटोक जिले में नकली शराब का निर्माण होने के साथ ही जिला नकली शराब का गढ़ बन चुका है। उल्लेखनीय है कि गत 4 माह से गोंदिया जिला आबकारी अधीक्षक का पद प्रभारी के भरोसे चल रहा है। इसके पूर्व आबकारी अधीक्षक प्रवीण तांबे कार्यरत थे। जिनका तबादला होने के बाद भंडारा के अधीक्षक को प्रभार सौंपा गया, जो महीनें में कुछ ही दिन गोंदिया आते हैं।

छात्र की बेदम पिटाई करनेवाला शिक्षक निलंबित

देवरी-बोरगांव के आदिवासी आश्रम स्कूल के विद्यार्थियों के साथ मारपीट का प्रकरण

देवेंद्र सेलोकर, देवरी - गोंदिया जिले के देवरी तहसील के बोरगांव में आदिवासी प्रकल्प अधिकारी देवरी कार्यालय के अंतर्गत आदिवासी आश्रम स्कूल संचालित की जाती है। जिसमें कक्षा पांचवी में पढ़ने वाले विद्यार्थी की स्कूल में कार्यरत शिक्षक द्वारा बेदम मारपीट किए जाने के मामले में प्रकल्प अधिकारी राचेलवार द्वारा संबंधित शिक्षक को निलंबित किया।

गौरतलब है कि गोंदिया जिले के देवरी तहसील के अंतर्गत आदिवासी विभाग के अंतर्गत शासकीय आश्रम स्कूल संचालित की जा रही है। जिसमें बोरगांव स्थित आश्रम स्कूल में आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण ले रहे हैं। किंतु आए दिन आश्रम शाला में पढ़ने वाले आदिवासी विद्यार्थियों के साथ शिक्षकों द्वारा अनुचित व्यवहार किया जाता है। इसी के चलते गत इन 4 दिनों पूर्व कक्षा पांचवी में पढ़ने वाले आदिवासी छात्र अक्षय पंधरे को आश्रम स्कूल के एस.आर. ठेंगरी नामक शिक्षक द्वारा बेदम पिटाई कर दी। जिसमें अक्षय के सिर पर गंभीर मार लगी। इस घटना की जानकारी छात्र अक्षय द्वारा अपने परिजनों को दी। जिसके पश्चात पालक द्वारा प्रकल्प कार्यालय देवरी में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत प्राप्त होते ही प्रकल्प अधिकारी विकास राचेलवार द्वारा आदिवासी आश्रम स्कूल में पहुंचकर मामले की जांचकर शनिवार 1 अक्टूबर को दोषी शिक्षक को निलंबित किया तथा विद्यार्थी को उपचार के लिए चिकित्सालय में भेजा।

उल्लेखनीय है कि गोंदिया जिले के आदिवासी समाज के विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदिवासी विभाग के माध्यम से आश्रम शाला स्कूल को संचालित कर करोड़ों रुपए का खर्च कर विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रही है। किंतु उपरोक्त स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा आए दिन अपनी अमानुष्य प्रवृत्ति का परिचय देकर विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने के साथ ही बेदम पिटाई की जा रही है। आदिवासी विद्यार्थियों के साथ निरंतर हो रही घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन? आदिवासी विभाग द्वारा संचालित आश्रम शालाओं में आए दिन इस प्रकार के मामले सामने आते हैं जिसमें शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों के साथ प्रताड़ना व मारपीट करने के साथ घटिया भोजन देने के भी मामले सामने आते हैं। इस मामले में जिम्मेदार कौन? इस पर प्रश्नचिन्ह निर्माण हो रहा है। जिले के दुर्गम क्षेत्रों में भूलेख निवास करने वाले आदिवासी विद्यार्थियों के पलकों में दिया संतोष निर्माण हो रहा है किंतु गुड़गांव बाजार स्थित आश्रम स्कूल के मामले में प्रकल्प अधिकारी द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने के चलते पालकों में कुछ राहत मिली है।

> बोरगांव आदिवासी स्कूल में विद्यार्थी के साथ मारपीट करने वाले शिक्षक को कुछ दिनों पूर्व अभी से निलंबित किया गया था, किंतु उसके द्वारा माफीनामा दिए जाने के चलते पुन: कार्य पर लिया गया था। परंतु उसी शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को फिर से मारपीट किए जाने के चलते तत्काल बोरगांव आश्रम स्कूल को भेंट देकर निरीक्षण किया वह शिक्षक को निलंबित किया गया।
>
> -विकास राचेलवार
> आदिवासी प्रकल्प अधिकारी, गोंदिया

ग्रापं कर्मचारी की टाटा सुमो से कुचल कर हत्या

पुराने विवाद को लेकर आरोपी ने दिया घटना को अंजाम

बुलंद गोंदिया - गोंदिया तहसील के अंतर्गत आनेवाले ग्राम दवनीवाड़ा ग्राम पंचायत के कर्मचारी यशवंत मेंढे (51) की पुराने विवाद को लेकर आरोपी प्रवीण नेवारे (38) द्वारा अपनी टाटा सुमो से कुचलकर ग्राम पंचायत कार्यालय के समक्ष हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार दवनीवाड़ा ग्राम पंचायत में परिचय के पद पर कार्य करनेवाले कर्मचारी यशवंत मेंढे यह 1 अक्टूबर की शाम ग्राम पंचायत कार्यालय से अपना कार्य निपटाकर बाहर निकला ही था कि आरोपी प्रवीण नेवारे द्वारा अपनी टाटा सुमो क्रमांक एमएच 34 एए 9145 से उसे जबरदस्त टक्कर मार दी तथा इसके बाद भी आरोपी रुका नहीं। उस मृतक के जमीन पर गिर जाने पर अपने वाहन को आगे पीछे करके उसे कुचल दिया तथा घटनास्थल से फरार हो गया।

जब ग्राम के नागरिकों ने यशवंत को मार्ग पर जख्मी अवस्था में देखा तो नागरिकों द्वारा तत्काल उपचार के लिए गोंदिया के जिला शासकीय चिकित्सालय में दाखिल कराया गया जहां उपचार के दौरान 2 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई। इस घटना से संपूर्ण गांव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी दवनीवाडा पुलिस को मिलते ही तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस द्वारा पंचनामा कर मामले की जानकारी प्राप्त की। जिसमें यह मामला सामने आया कि पुराने विवादों को लेकर आरोपी द्वारा इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस द्वारा उपरोक्त मामले में भादवि की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया था। किंतु जख्मी की मौत होने के पश्चात भादवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की।

घटना के दूसरे दिन 2 अक्टूबर को आरोपी प्रवीण नेवारे द्वारा दवनीवाड़ा पुलिस थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है।

पार्थ मोदी बना जिले का पहला अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी

बुलंद गोंदिया - 23 साल की उम्र में खेल जगत में नाम कमानेवाले पार्थ मोदी ने गोंदिया जिले का नाम रौशन कर दिया है। पार्थ मोदी का बैडमिंटन खेल अंतर्गत नेशनल रैंक में 66वां क्रमांक है। उनका 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर को बैंगलुरु में होने वाले इंफोसिस फाऊंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चेलेंज 2022 अंतरार्ष्ट्रीय टूर्नामेंट में चयन हुआ।

पार्थ मोदी गोंदिया शहर के अग्रणी समाजसेवक एवं जेसीआई इंडिया के पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट पुरुषोत्तम मोदी के बेटे है। पार्थ ने शिक्षा के साथ बैडमिंटन में रुचि दिखाई और बुलंद इरादों के साथ आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अब तक बैंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, गुवाहाटी सहित अनेक नेशनल टूर्नामेंट खेल कर अपना नाम रोशन कर चुके है। उनके रोमाँचक खेल व रैंक को देखते हुए इंफोसिस फाऊंडेशन इंडिया इंटरनेशनल चेलेंज 2022 की अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होने वाले इस इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन बंगलुरु के प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी स्टेडियम में किया जा रहा है जिसमें करीब 11 देशो की टीम मेजबानी करेंगी। जिनमें, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल सहित अनेक देश खेलेंगे।

पार्थ मोदी गोंदिया जिले के पहले ऐसे बैडमिंटन खिलाड़ी है, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे। उनके चयन को लेकर बैडमिंटन प्रेमियों में एवं अन्य खेल जगत के खिलाड़ियों में हर्ष का वातावरण है। पार्थ को निरंतर बधाइयां मिल रही है एवं उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी जा रही है।

संपादकीय

आखिर पाबंदी

केंद्र सरकार ने आखिरकार पापुलर फ्रंट आफ इंडिया यानी पीएफआइ पर पांच साल के लिए पाबंदी लगा दी है।

पिछले कुछ दिनों से इस संगठन के खिलाफ लगातार चल रही कार्रवाई का सिरा अब अपने अंजाम पर पहुंच गया लगता है। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यानी यूएपीए के प्रावधानों के तहत इसे गैरकानूनी घोषित करते हुए सरकार की ओर से कहा गया है कि यह संगठन और इससे संबद्ध संस्थाएं सार्वजनिक तौर पर तो सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक रुप से काम करते हैं, मगर किसी खास एजेंडे के तहत समाज के एक वर्ग विशेष के बीच कट्टरता फैला कर लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करने की दिशा में काम करते हैं।

जाहिर है, अगर सरकार के आरोप सही हैं तो पीएफआइ एक तरह से संवैधानिक प्राधिकार और ढांचे का खयाल रखना जरुरी नहीं समझता। ऐसे में उस पर लगाई गई पाबंदी को प्रथम दृष्टया सही कहा जा सकता है। हालांकि कुछ अन्य संगठनों ने इस तरह पाबंदी लगाने को अलोकतांत्रिक कहा है, लेकिन सवाल है कि क्या बिना किसी मजबूत आधार के सरकार किसी संगठन के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई कर सकती है!

दरअसल, हाल में पीएफआइ से संबंधित ठिकानों पर सुरक्षा एजंसियों ने जिस तरह छापे मारे और सवा दो सौ से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, शायद उसी में सरकार को इस बात के आधार मिले कि वह इस संगठन को लेकर क्या रुख अख्तियार करे। यों पीएफआइ की गतिविधियों को लेकर काफी समय से शक जाहिर किया जा रहा था कि क्या यह देश के संविधान के ढांचे के खिलाफ भी कोई काम कर रहा है, मगर देश के लोकतांत्रिक स्वरुप में अलग-अलग विचारों और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत की वजह से कार्रवाई टलती रही।

मगर अब सरकार का मानना है कि पीएफआइ और इसके सहयोगी संगठन या इससे जुड़ी संस्थाएं उन गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हैं जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ हैं। साथ ही इससे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल खराब होने और देश में उग्रवाद को प्रोत्साहन मिलने की आशंका है। अगर इन आरोपों के दायरे में पीएफआइ की कोई भी गतिविधि आती है तो यह गंभीर चिंता की बात है और स्वाभाविक ही सरकार ने इस मसले पर एक बड़ा कदम उठाया है।

इसमें दो राय नहीं कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे में किसी भी संगठन को अपने विचारों या मतों के प्रचार-प्रसार का अधिकार है और पीएफआइ इसी के तहत अपनी जमीन मजबूत बना रहा था। लेकिन अगर आइएसआइएस यानी इस्लामिक स्टेट आफ इराक एंड सीरिया जैसे आतंकवादी समूहों के साथ उसके संपर्क के उदाहरण हैं तो इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की किस परिभाषा के तहत देखा जाएगा? किसी भी समुदाय के संवैधानिक अधिकारों के लिए राजनीतिक आंदोलन करने या आवाज उठाने से किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, मगर लोगों के भीतर एकांगी या कट्टर विचार के साथ असुरक्षा का भाव भरने को कैसे उचित ठहराया जा सकता है?

हालांकि देश के कुछ राजनीतिकों की ओर से ऐसी दलीलों के आधार पर अलग-अलग संगठनों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर सरकार की कार्रवाई में भेदभाव पर सवाल उठाया गया है और उसके अपने संदर्भ हैं। मगर यह देखने की बात होगी कि अब से पहले सार्वजनिक रुप से निर्बाध अपनी गतिविधियां संचालित करने और आम लोगों के हित में काम करने का दावा करने वाला संगठन पीएफआइ अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करता है या फिर एक बार और यह सामने आता है कि किसी समुदाय के भीतर असुरक्षाबोध पैदा करके हासिल समर्थन के बल पर कोई अलगाववादी संगठन गैरकानूनी तरीके से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहा था!

भारतीय वायुसेना दिवस

भारतीय वायुसेना (इंडियन एयरफोर्स) भारतीय सशस्त्र सेना का एक अंग है जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा, एवं वायु चौकसी का महत्वपूर्ण काम देश के लिए करती है। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गयी थी। स्वतन्त्रता (1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने) से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था और 1945 के द्वितीय विश्वयुद्ध में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी (1950 में पूर्ण गणतंत्र घोषित होने) के पश्च्यात इसमें से रॉयल शब्द हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया।

आज़ादी के बाद से ही भारतीय वायुसेना पडौसी मुल्क पाकिस्तान के साथ चार युद्धों व चीन के साथ एक युद्ध में अपना योगदान दे चुकी है। अब तक इसने कई बड़े मिशनों को अंजाम दिया है जिनमें ऑपरेशन विजय - गोवा का अधिग्रहण, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस व ऑपरेशन पुमलाई शामिल है। ऐसें कई विवादों के अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी सक्रिय हिसा रही है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायु सेना के कमांडर इन चीफ के रुप में कार्य करते है। वायु सेनाध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल, एक चार सितारा कमांडर है और वायु सेना का नेतृत्व करते है। भारतीय वायु सेना में किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में कभी नहीं होते। इसका मुख्यालय नयी दिल्ली में स्थित है एवं 2006 के आंकडों के अनुसार इसमें कुल मिलाकर 1,70,000 जवान एवं 1,350 लडाकू विमान हैं जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बडी वायुसेना होने का दर्जा दिलाती है।

विश्व डाक दिवस

विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न, स्विटजरलैण्ड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने के लिए यह दिन चुना गया। 1 जुलाई, 1876 को भारत यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना तथा भारत में पहली बार वर्ष 1766 में डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई, वर्तमान में भारतीय डाक विभाग की स्थिति इस प्रकार से है 150 वर्षों से अधिक पुरानी इस संस्था में डेढ़ लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस है जिनमें से 89.87 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है तथा औसतन 21.23 वर्ग किलोमीटर में यह लगभग 8086 जनसंख्या को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। भारत में एक विभाग के रुप में इसकी स्थापना 1 अक्तूबर, 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच विश्व डाक सप्ताह मनाता है। वर्ष 1766 में भारत में पहली बार डाक व्यवस्था का प्रारंभ हुआ, वारेन हेस्टिंग्स में कोलकाता में प्रथम डाकघर वर्ष 1774 को स्थापित किया। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्टी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई तथा महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट 1 अक्टूबर सन 1854 को जारी किया गया। भारत में अब तक का सबसे बड़ा डाक टिकट पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर 20 अगस्त सन 1991 को जारी किया गया था। ब्रिटेन में डाक विभाग की स्थापना वर्ष 1516 में हुई थी। ब्रिटेन में इसे रॉयल मेल के नाम से जाना जाता है जिसका मुख्यालय इंग्लैंड में बनाया गया है। अमेरिकी डाक विभाग को यूएस मेल के नाम से जाना जाता है जिसकी स्थापना वर्ष 1775 में हुई थी। फ्रांस के डाक विभाग को ला पोस्ट ए के नाम से जाना जाता है वर्ष 1576 में स्थापित डाक विभाग का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। डूटस्चे पोस्ट के नाम से जानी जाने वाली जर्मन डाक विभाग का हेड क्वार्टर बॉन में बना हुआ है। दक्षिणी एशियाई देशों में स्थित श्रीलंका के डाक विभाग का नाम श्रीलंका पोस्ट है वर्ष 1882 में बने इस डाक विभाग का मुख्यालय श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में है। इसी तरह पाकिस्तान में स्थित डाक विभाग जिसे वर्ष 1947 में प्रारंभ किया गया था इसे पाकिस्तान पोस्ट कहा जाता है एवं इसका मुख्यालय इस्लामाबाद में है।

<u>विश्व डाक दिवस सबंधित जानकारी</u>

विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस को स्विट्जरलैंड के बर्न में 1874 ईस्वी में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) की स्थापना की याद में मनाया जाता है।

विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ-साथ वैश्विक, सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के लिए जागरुकता लाना है।

विश्व डाक दिवस को 1969 ईस्वी में जापान के टोकियो में आयोजित यूपीयू कांग्रेस में विश्व पोस्ट दिवस के रुप में आयोजित किए जाने के लिए चुना गया था।

यपीयू पूरी दुनिया में संचार क्रांति के उद्देश्यों पर यह ध्यान में रखते हुए केन्द्रित रहता है की लोग एक-दूसरे को पत्र लिखें और अपने विचारों को साझा कर सकें।

यपीयू के सदस्य देशों को इस समारोह का जश्न मनाने के लिए अपनी खुद की राष्ट्रीय गतिविधियों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें डाकघरों, मेल केंद्रों और डाक संग्रहालयों में खुले दिनों के संगठन के लिए नए डाक उत्पादों और सेवाओं के परिचय या प्रचार आदि सब कुछ शामिल है।

यपीयू दुनिया भर में प्रदर्शन के लिए पोस्टर और डिजाइन वितरित करके अपने विश्व डाक दिवस के साथ जागरुकता की सुविधा प्रदान करता है।

विश्व डाक दिवस एक विशेष विषय द्वारा निर्देशित नहीं है, लेकिन न्च् के नवीनतम पोस्टर डिजाइन न्च् के तीन रणनीतिक स्तंभोंरु- नवाचार, एकीकरण और समावेश का प्रतीक हैं।

1 जुलाई, 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। इस सदस्यता को लेने वाला भारत एशिया का पहला देश है। 1 अक्टूबर, 1854 में भारत सरकार ने डाक के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया था, भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुवात 1986 में की गई थी।

भारत में मनीआर्डर सिस्टम की शुरुवात 1880 हुई। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका भारत का पहला डाकघर है जो भारतीय सीमा के बाहर है, की स्थापना 1983 में की गई।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के लिये राष्ट्रीय कार्य दिवस के रुप में हर वर्ष 11 अक्टूबर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। देश में लड़कियों के लिये ज्यादा समर्थन और नये मौके देने के लिये इस उत्सव की शुरुआत की गयी। समाज में बालिका शिशु के द्वारा सभी असमानताओं का सामना करने के बारे में लोगों के बीच जागरुकता को बढ़ाने के लिये इसे मनाया जाता है। बालिका शिशु के साथ भेद-भाव एक बड़ी समस्या है जो कई क्षेत्रों में फैला है जैसे शिक्षा में असमानता, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सीय देख-रेख, सुरक्षा, सम्मान, बाल विवाह आदि।

लड़कियों की उन्नति के महत्व के बारे में पूरे देश के लोगों के बीच ये मिशन जागरुकता को बढ़ाता है। यह दूसरे सामुदायिक सदस्यों और माता-पिता के प्रभावकारी समर्थन के द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में लड़कियों के सार्थक योगदान को बढ़ाता हे।

समाजिक लोगों के बीच उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिये और समाज में लड़कियों की स्थिति को बढ़ावा देने के लिये इसे मनाया जाता है। ये बहुत जरुरी है कि विभिन्न प्रकार के समाजिक भेदभाव और शोषण को समाज से पूरी तरह से हटाया जाये जिसका हर रोज लड़कियाँ अपने जीवन में सामना करती हैं। समाज में लड़कियों के अधिकारों की जरुरत के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिये एक समान शिक्षा और मौलिक आजादी के बारे में विभिन्न राजनीतिक और समुदायिक नेता जनता में भाषण देते हैं।

लड़कियों के लिये ये बहुत जरुरी है कि वो सशक्त, सुरक्षित और बेहतर माहौल प्राप्त करें। उन्हें जीवन की हर सच्चाई और कानूनी अधिकारों से अवगत होना चाहिये। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिये कि उनके पास अच्छी शिक्षा, पोषण, और स्वास्थ्य देख-भाल का अधिकार है। जीवन में अपने उचित अधिकार और सभी चुनौतियों का सामना करने के लिये उन्हें बहुत अच्छे से कानून सहित घरेलु हिंसा की धारा 2009, बाल-विवाह रोकथाम एक्ट 2009, दहेज रेकथाम एक्ट 2006 आदि से अवगत होना चाहिये।

हमारे देश में, महिला साक्षरता दर अभी भी 53.87 प्रतिशत है और युवा लड़कियों का एक-तिहाई कुपोषित हैं। स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच और समाज में लैंगिक असमानता के कारण विभिन्न दूसरी बीमारियों और रक्त की कमी से प्रजननीय उम्र समूह की महिलाएँ पीड़ित हैं। विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा बालिका शिशु की स्थिति को सुधारने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बहुत सारे कदम उठाये गये हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने <u>धनलक्ष्मी</u> नाम से एक योजना की शुरुआत की है जिसके तहत बालिका शिशु के परिवार को नकद हस्तांतरण के द्वारा मूलभूत जरुरतों जैसे असंक्रमीकरण, जन्म पंजीकरण, स्कूल में नामांकन और कक्षा 8 तक के रखरखाव को पूरा किया जाता है। शिक्षा का अधिकार कानून ने बालिका शिशु के लिये मुफ्त और जरुरी शिक्षा उपलब्ध कराया गया है।

प्राचीन काल में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता था। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता गया इनकी स्थिति में काफी बदलाव आया। लड़कियों के प्रति लोगों की सोच बदलने लगी थी। बालविवाह प्रथा, सती प्रथा, दहेज प्रथा, कन्या भ्रुण हत्या इत्यादि रुढ़िवादी प्रथायें काफी प्रचलित हुआ करती थी। इसी कारण लड़कियों को शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार और चिकित्सा जैसे अधिकारों से वंचित रखा जाने लगा था। लेकिन अब इस आधुनिक युग में लड़कियों को उनके अधिकार देने और उनके प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है और कई योजनायें लागू कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और उन्हें उनके अधिकार प्रदान करने में मदद करना, ताकि दुनिया भर में उनके सामने आने वाली चुनौतियों का वे सामना कर सकें और अपनी जरुरतों को पूरा कर सकें। साथ ही दुनिया भर में लड़कियों के प्रति होने वाली लैंगिक असामानताओं को खत्म करने के बारे में जागरुकता फैलाना भी है।

आज ज्यादातर लड़कियां स्कूल जाने लगी हैं, पढ़ाई पूरी कर रही हैं। अपने कैरियर पर फोकस कर रही हैं। अब उनको कम उम्र में शादी करने के लिए भी फोर्स नहीं किया जा रहा है। इसके लिए कई आंदोलनों का विस्तार हुआ है। इन आंदोलनों को किशोर लड़कियों के लिए और बाल विवाह, शिक्षा असमानता, लिंग आधारित हिंसा, जलवायु परिवर्तन, आत्म-सम्मान, और लड़कियों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों से निपटने और मासिक धर्म के दौरान पूजा स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने के लिए आयोजित किया जा रहा हैं. लड़कियां यह साबित कर रही हैं कि वे **Unscripted and Unstoppable** हैं।

<u>इतिहास</u>

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस मनाने की पहल एक गैर-सरकारी संगठन <u>प्लान इंटरनेशनल</u> प्रोजेक्ट के रुप में की गई। इस संगठन ने <u>क्योंकि मैं एक लड़की हूँ</u> नाम से एक अभियान भी शुरु किया। इसके बाद इस अभियान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए कनाडा सरकार से संपर्क किया। फिर कनाडा सरकार ने 55वें आम सभा में इस प्रस्ताव को रखा। अंतत: संयुक्त राष्ट्र ने 19 दिसंबर, 2011 को इस प्रस्ताव को पारित किया और इसके लिए 11 अक्टूबर का दिन चुना। इस प्रकार पहला अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, 2012 को मनाया गया और उस समय इसका थीम था- बाल विवाह को समाप्त करना।

भारत सरकार ने भी बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए काफी योजनाओं को लागू किया है। जिसके तहत <u>बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओं</u> एक उल्लेखनीय योजना है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार भी अन्य महत्वपूर्ण योजनायें शुरु कर रही है। भारत में भी 24 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है।

ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी देश को सफल बनाने के लिए बालिकाओं का भी कदम से कदम मिलाकर चलना आवश्यक है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस

भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार सरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत की गयी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह सविंधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। वर्तमान में (2021) न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर आसीन है। इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष (जो भी पहले पूर्ण हो जाए)। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धान्तों के अनुरुप है जिन्हें अक्तूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अन्तरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48ध्134 के रुप में समर्थित किया गया था।

<u>राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य व शक्तियाँ</u>

- मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सरकार को परामर्श देना। यह परामर्श दात्री निकाय है इसलिए दण्ड देने का अधिकार नहीं है।
- 1 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को सरकार की सहमति से सुनवाई कर सकता है।
- इसे लोक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एचएल दत्तू ने इस आयोग को दन्त-विहीन बाघ कहा है।
- मानव अधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष सौपती है।

मुफ्त अनाज कब तक?

अब कोरोना के वैसे हालात नहीं रहे, जन जीवन सामान्य हो चुका है, काम धंधे शुरु हो चुके हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को एक बार फिर तीन महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। आज ही यह योजना समाप्त हो रही थी, लेकिन अब 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। यह इस योजना का सातवां विस्तार है। ध्यान रहे, इसकी शुरुआत अप्रैल 2020 में तब की गई थी, जब कोरोना को बेकाबू होने से रोकने की कोशिशों के तहत देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। उस दौरान अचानक सारा कामकाज ठप हो जाने और आजीविका के साधन समाप्त हो जाने की वजह से देश में कमजोर तबकों के सामने जीवन निर्वाह की समस्या पैदा हो गई थी। उस कठिन दौर में जरुरतमंदों की मदद के लिए सरकार ने दो महीने के लिए यह योजना घोषित की, जिसके तहत 80 करोड़ गरीबों को पांच किलो गेहूं और चावल मुफ्त मुहैया कराए गए। चूंकि कोरोना की समस्या जारी रही, इसलिए सरकार ने अप्रैल 2021 में फिर से यह योजना घोषित की। इस बार भी यह दो महीने के लिए थी, लेकिन इसे पांच महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तब से इसे लगातार बढ़ाया जाता रहा है।

चूंकि अब कोरोना के वैसे हालात नहीं रहे, जन जीवन सामान्य हो चुका है, काम धंधे शुरु हो चुके हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि इस योजना को और विस्तार नहीं दिया जाएगा। यूक्रेन युद्ध के कारण जहां दुनिया में सप्लाई चेन बाधित हुई वहीं अनाज की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। बढ़ी हुई महंगाई दर और रुपये की कमजोरी के चलते देश की वित्तीय स्थिति भी कमजोर हुई है। इसलिए वित्त मंत्रालय इस योजना को मिलने वाले विस्तार की वजह से करीब 45000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था।

खबरों के मुताबिक वित्त मंत्रालय का सुझाव था कि अगर योजना को विस्तार देना ही है तो भी उसमें अनाज की मात्रा कम की जानी चाहिए। मगर कैबिनेट के फैसले के मुताबिक योजना अपने पुराने स्वरुप में ही जारी रहेगी। ध्यान रहे, साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। स्वाभाविक ही आरोप लग रहे हैं कि सरकार के इस फैसले के पीछे चुनावी हित हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस फैसले की वजह से गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आएगी और उनके घर में चूल्हे जलते रहेंगे।

निश्चित रुप से किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को देश की आबादी के कमजोर हिस्सों की चिंता होनी चाहिए। लेकिन उसी चिंता का एक रुप यह भी है कि देश की वित्तीय संरचना पर हद से ज्यादा बोझ न पड़े। इसी संदर्भ में प्रधानमंत्री ने मुफ्त घोषणाओं को मुद्दा बनाया था और राजनीतिक दलों को इससे बचने की जरुरत बताई थी। ऐसे में इस योजना को मिला विस्तार खुद सरकार की प्राथमिकताओं पर कुछ असुविधाजनक सवाल तो खड़े कर ही गया है।

राज्यस्तर तक स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन को सरकार की मंजूरी

बुलंद गोंदिया - कोविड-19 के प्रकोप के कारण वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान तहसील स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जा सका। वर्ष 2022-23 में स्कूल खेल प्रतियोगिता सरकार आयोजित करेगी जिसकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

वर्ष 2022-23 में भारतीय स्कूल खेल महासंघ द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, ताकि राज्य के विभिन्न खेलों के एथलीटों को राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जा सके। विभिन्न रुपों में 16 सितंबर 2022 को सरकार की मंजूरी के अनुसार कुल 93 खेलों का आयोजन किया जाएगा। खेलों का आयोजन राज्य स्तर पर किया जाएगा और इसमें निम्नलिखित खेल शामिल होंगे।

अनुदानित व क्रीडा गुण वाले खेल तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन बॉल बैडमिंटन, बेसबॉल बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैरम, शतरंज, क्रिकेट, साइकिलिंग, डचबॉल, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो कबड्डी, कराटे, खो-खो, किक बॉक्सिंग, लॉन टेनिस, मलखंब, नेहरु हॉकी, नेटबॉल, राइफल शूटिंग, रोलबॉल, रोलर स्केटिंग और रोलर हॉकी, शूटिंगबॉल, शिकाई मार्शल कला, सॉफ्टबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल, तैराकी और वाटर पोलो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो थ्रोबॉल, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती, वुशु, योगासन, रग्बी, आधुनिक पेंटाथलॉन, सेपक टाकरा, सॉयट टेनिस, आट्या-पाट्या।

गैर सहायता प्राप्त और स्पोर्टिंग मार्क्स रियायत अनुमेय खेल -

आष्टेडु आखाडा, यूनिफाई, कूडो, स्पीडबॉल, टैग सु डो, फील्ड तीरंदाजी, मोंटेक्सबॉल क्रिकेट, मिनिगॉल्फ, सुपर सेवन किकेट, बेल्ट कुश्ती, फ्लोर बॉल, थायबॉक्सिंग, हाफ किडो बॉक्सिंग, रोप स्किपिंग, सिलंबम, वुडबॉल, टेनिस बॉल क्रिकेट, टेनिस वॉलीबॉल, थांगटा मार्शल आर्ट्स, कुराश, लागोरी, रोपिंग, पावरलियिटंग, बीच वॉलीबॉल, टारगेटबॉल, टेनिस क्रिकेट, जित कुन डो, फुटसल, कोर्फबॉल, टेबल सॉकर, हूप क्वान दो, युग मुन दो, वोविनम, ड्रॉ सो बॉल, ग्राफिंग, पेंटाकू , लंगडी, जम्परोप, स्पोर्ट डॉन, चॉकबॉल, ताइक्वांडो, फुटबॉल टेनिस, कुडो मार्शल आर्ट्स, म्यूजिकल चेयर, टेनिस बॉल क्रिकेट आदि।

साथ ही उपरोक्त बिना अनुदान प्राप्त 44 खेलों के एकल खेल संगठन को जिला खेल अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर खेल प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आवश्यक दस्तावेजों की व्यवस्था, निर्धारित शुल्क जमा कर प्रतियोगिता के आयोजन की योजना बनानी चाहिए। बिना सब्सिडी वाले 44 खेल एकल खेल संगठन उक्त मामलों का निपटारा नहीं करेंगे। संबंधित खेल संगठन ध्यान दें कि उस खेल की खेल प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस की जानकारी गोंदिया के जिला खेल अधिकारी घनश्याम राठौड़ ने दी है।

जाति प्रमाणपत्र तैयार करने हेतु कार्यशाला

बुलंद गोंदिया - जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति कार्यालय एवं सहायक आयुक्त, सामाजिक के सहयोग से समाहरणालय, गोंदिया में जिलाधिकारी नयना गुंडे की अध्यक्षता में वीडियो सिस्टम (वीडीओ) के माध्यम से कक्षा 1 से 10 वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों का जाति प्रमाणपत्र तैयार करने के संबंध में कल्याण कार्यालय, कांफ्रेंसिंग) सभी उप विभागीय अधिकारियों एवं सभी तहसीलदारों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

गोंदिया जिले में कक्षा 1 से कक्षा 10 तक में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या 241285 है। अनुसंधान अधिकारी विनोद मोहतुरे ने बताया कि इमाव, बीमाप्र और विजाभज वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 147689 तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की संख्या 30125 है।

इस अवसर पर जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के अध्यक्ष एवं अतिरिक्त जिलाधिकारी महेश आव्हाड ने मार्गदर्शन किया। इस दौरान आव्हाड ने जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के निर्देश दिए। जिलाधिकारी नयना गुंडे ने सभी उप विभागीय अधिकारियों एवं सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये कि जिले में कक्षा 1 से 10 तक के सभी पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के जाति प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए विशेष शिविर लगाकर उस पर कार्रवाई करें. कार्यशाला में गोंदिया जिले के सभी उप विभागीय पदाधिकारी एवं तहसीलदार उपस्थित थे।

बालाजी नर्सिंग होम के डॉ. मोहन ने बचाया युवक का हाथ

गन्ने की मशीन में आया और बुरी तरह हो गया था चोटग्रस्त

बुलंद गोंदिया - किडंगीपर निवासी 21 वर्षीय युवक सागर भंडारकर का बायाँ हाथ गन्ने का रस निकलने की मशीन में आया और वह बुरी तरह से चोटग्रस्त हो गया तो उसे गोंदिया के बड़े हॉस्पिटलों ने हाथ बचाने के लिए नागपुर जाने की सलाह दी। किन्तु उसके एक परिचित ने जिन्होंने अपने फ्रैक्चर का सफल इलाज गोंदिया के बालाजी नर्सिंग होम के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. विद्यासागर मोहन से कराया था। जिसने सागर को बालाजी नर्सिंग होम जाने की सलाह दी।

बालाजी नर्सिंग होम में डॉ. विद्यासागर मोहन ने प्राथमिक जाँच कर हाथ की गम्भीर हालत को देखते हुए जिसमें सिर्फ़ हाथ का अंगूठा बचा था और बाक़ी की 4 चार उँगलियाँ बहुत की बुरी स्तिथि में थी। जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बायें हाथ के पंजे को काटना पड़े लेकिन डॉक्टर ने देर रात 1.30 बजे होने के बावजूद उसी समय उसके हाथ की प्राथमिक साफ़ सफ़ाई की और खून के बहाव को रोका और अगले दिन सुबह 7 बजे दोबारा से उसके छोटी उँगली के फ्रैक्चर को तार से बांध के फिक्स किया और उसके बाद प्लास्टिक सर्जन के साथ उसके घायल हाथ के खून के प्रवाह को बचाया। इस हेतु पेशंट के पेट में हाथ रखा गया एवं रोज़ ड्रेसिंग की गयी और 4-5 हफ्ते के बाद जब यह प्रतीत हुआ की अब इन्फ़ेक्शन का कोई ख़तरा नहीं हैं तब हाथ को पेट से निकाला गया और उसे सर्जरी करके फलैप द्वारा कवर किया गया और यह पाया गया की उसकी छोटी उँगली में भी रक्त का प्रवाह बरकरार हैं। कुछ महीनों के डॉक्टर की निगरानी में विशेष देखभाल एवं हाथ की फ़िज़ीओथेरपी करने के उपरांत जब हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया और विशेष व्यायाम और कसरत के करण सागर अपने अंगूठे और छोटी उँगली से पेन इत्यादि वस्तुएँ पकड़ना शुरु कर पाया और उसे एक क्रियाशील एवं उपयोगी हाथ मिल सका। डॉ. विद्यासागर ने आगे बताया की ऐसे पेशंट एवं उसके परिवारजनो का अटूट विश्वास जहाँ हम पर था और ऐसे युवा पेशंट का हाथ जब बच जाएँ तो इससे बड़ी कोई संतुष्टि नहीं हो सकती और जब वह कार्यात्मक एवं उपयोगी हाथ हो तो यह सोने पे सुहागा जैसा महसूस होता हैं।

डॉ. विद्यासागर ने इस सफल ऑपरेशन के लिए विशेष रुप से अपनी पूरी बालाजी नर्सिंग होम की टीम विशेषकर स्त्री रोग तज्ञ डॉ. एस. स्वाति विद्यासागर व प्लास्टिक सर्जन डॉ. चैतन्य रामटेके एवं भूलतज्ञ डॉ. क्रुनाल बोरकर और अपने पूरे ओटी एवं हॉस्पिटल स्टाफ़ का विशेष धन्यवाद माना।

पौधारोपण कर वृक्षधरा फाउंडेशन की सावरी-लोधिटोला शाखा का उद्घाटन

बुलंद गोंदिया - वृक्षधरा फाउंडेशन सन् 2017 से शुरु कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वृक्षधरा फाउंडेशन की सावरी-लोधीटोला शाखा का उद्घाटन बादाम, जारुल, सप्तपर्णी, गुलमोहर आदि बड़े पौधों पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर ग्राम के समस्त युवाओं में पर्यावरण के प्रति अप्रतिम उत्साह नजर आया व सभी ने धरती माता के प्रति अपना कर्तव्य पूर्ण जिम्मेदारी से निभाने की शपथ ली। वृक्षधरा फाउंडेशन के इस पर्यावरण संरक्षण अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य हम सभी निरंतर करते रहेंगे और इस अभियान से जुड़ने का आवाहन सभी ग्रामवासियों से किया गया। इस अवसर पर वृक्षधरा फाउंडेशन, सावरी-लोधीटोला शाखा के समस्त सदस्य एवं वृक्षधरा फाउंडेशन के नितेश बारेवार, राकेश दमाहे, अजय दमाहे, अजय बारेवार, गीरसिंग ढेकवार, विनोद बांते, योगेश बारेवार, रुपेश लिल्हारे, राजकुमार लिल्हारे, प्रतिक बांते, बिट्टू ढोमने, रमेश लिल्हारे, भारत बिसेन, कमलेश दमाहे, शिवम बारेवार आदि समस्त पदाधिकारी एवं स्वयंसेवक उपस्थित थे।

जंतूनाशक अभियान को बड़े पैमाने पर चलाएं

बुलंद गोंदिया - राष्ट्रीय जंतूनाशक अभियान के तहत 10 अक्टूबर को जंतूनाशक दिवस के अवसर पर 01 से 19 साल के लड़के-लड़कियों को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएंगी। इसे गोंदिया जिले के सभी तहसीलों में लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य समिति की बैठक उप विभागीय अधिकारी पर्वणी पाटिल ने निर्देश दिया कि इस अभियान को बड़े पैमाने पर लागू कर सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में लड़के और लड़कियों को ये गोलियां दी जानी चाहिए।

उक्त अभियान को शत-प्रतिशत सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रत्येक विद्यालय से आशा स्वयंसेवकों, आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं एक नोडल शिक्षक का एक दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। अभियान के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए मातृ बैठकें आयोजित करना। ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक, पटवारी के माध्यम से हर गांव में स्कूली छात्रों की प्रभात फेरी निकालने और गांव में दावंडी और माइकिंग के माध्यम से जन जागरुकता पैदा करने की जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि शहर के केबल और सिनेमा हॉल में विज्ञापनों के माध्यम से शहर में व्यापक प्रचार और जन जागरुकता, प्रख्यात नागरिक सरपंच, पुलिस पाटिल, वरिष्ठ नागरिकों, सभी अधिकारियों और अधिकारियों, माता-पिता के निजी चिकित्सा पेशेवरों के माध्यम से आउट पेशेंट विभाग में आने वाले माता-पिता की भागीदारी होनी चाहिए. अभियान की जानकारी देनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि तहसील में सभी शहरी और ग्रामीण बच्चों को 100 प्रतिशत कृमिनाशक गोलियां खिलाई जाएं और 01 वर्ष से 19 वर्ष की आयु के किसी भी लाभार्थी को वंचित न किया जाए। 10 अक्टूबर 2022 को शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया गया है कि सभी आंगनबाड़ियों, सभी स्कूलों और कॉलेजों में लड़के और लड़कियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहे। सभा की शुरुआत में गोंदिया के तहसील स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. वेद प्रकाश चौरागड़े ने अभियान की जानकारी दी। श्रीमती पाटिल ने बैठक का निर्देश देते हुए उपस्थित लोगों तथा ग्रामीण एवं शहरी लोगों से उक्त अभियान को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की।

विज्ञान की ढाल

इंसान ने जब पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था तो यह मानव जाति के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई थी।

इसके बाद तो ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने की दिशा में अंतरिक्ष अभियानों का जो सिलसिला शुरु हुआ, वह अब थमने वाला कहां है! दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज और सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जानने के मकसद से कई देश अंतरिक्ष अभियानों में जोरशोर से जुटे हैं। इसी का नतीजा है कि आज अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के रहस्यों को लेकर नई-नई चीजें सामने आ रही हैं।

हालांकि ऐसे अंतरिक्ष अभियान आसान नहीं होते और खर्चीले भी काफी होते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि विज्ञान के क्षेत्र में इंसान ने आज जो कुछ हासिल कर पाया है, समंदरों और धरती से लेकर अंतरिक्ष की गुत्थियों को सुलझाने में जितने कदम बढ़ा पाया है, वह उन्नीसवीं और बीसवीं सदी में विज्ञान के विकास से ही संभव हो पाया। इसे मानव की कल्पनाओं का ही नतीजा माना जाना चाहिए कि आज सुदूर अंतरिक्ष की यात्रा के लिए अकल्पनीय गति से उड़ने वाले यान बनाने में कामयाबी मिल सकी है।

वैज्ञानिक शोधों और उपलब्धियों का यह सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें अब एक और नई चीज जुड़ गई है। वैज्ञानिकों ने अब आकाशीय पिंडों की टक्कर से धरती को बचाने का भी रास्ता निकाल लिया है। जैसे चंद्रमा पर पहली बार कदम रखना ऐतिहासिक घटना थी, उसी तरह यह प्रयोग भी मानव जाति के इतिहास में दर्ज हो गया। दो दिन पहले नासा के वैज्ञानिकों ने पहली बार धरती के करीब से गुजर रहे डिमोरफोस नामक एक छोटे पिंड में डार्ट अंतरिक्ष यान से टक्कर मार कर उसका रास्ता बदल दिया।

खतरा यह था कि यह पिंड कहीं धरती से न टकरा जाए। एक करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर बैठ कर इस तरह का सफल प्रयोग कोई मामूली काम नहीं था। हालांकि अंतरिक्ष में उपग्रहों को नष्ट करने जैसे प्रयोग भारत सहित कुछ देश कर चुके हैं। लेकिन अंतरिक्ष में विचरण कर रहे आकाशीय पिंडों को नष्ट करना या उनका रास्ता बदलने का प्रयोग अब तक सपना ही बना हुआ था। वैसे आकाशीय पिंडों से धरती को खतरा कोई नई बात नहीं है।

यह तो धरती की उत्पत्ति के साथ ही खड़ा हो गया था। जैसा कि अब तक के वैज्ञानिक शोधों से स्थापित हुआ है कि सबसे विशालकाय जीव डायनासोर के खात्मे का कारण भी किसी आकाशीय पिंड का धरती से टकराना ही था। ऐसे में आकाशीय पिंडों के खतरे से निपटना आज भी इंसान के लिए आसान नहीं है। हां, अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के विकास से इतना जरुर संभव हो पाया है कि अब गणनाओं के आधार पर यह पता लग जाता है कि कौन-सा आकाशीय पिंड धरती के कितने पास से और कब गुजरेगा।

सच तो यह है कि ब्रह्मांड आज भी इंसान के लिए रहस्यों का पिटारा ही है। फिर, अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं पर तो इंसान का वश नहीं है। ब्रह्मांड आज भी एक तरह से विकास और विस्तार की अवस्था में ही है। असंख्य छोटे-बड़े पिंड अकल्पनीय वेग से निरंतर विचरण कर रहे हैं। ऐसे में धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि कभी कोई पिंड इससे टकरा न जाए।

हालांकि अंतरिक्ष से धरती पर उल्का पिंडों के गिरने की घटनाएं होती रहती हैं, जिन्हें रोक पाना संभव नहीं है। पर अब डिमोरफोस का रास्ता बदलने में कामयाबी मिलने से वैज्ञानिकों को यह उम्मीद तो बंधी है कि भविष्य में वे धरती के लिए खतरा बनने वाले किसी बड़े आकाशीय पिंड का भी रास्ता बदल कर मानव जाति को बचा सकते हैं।

बदहाली के आंसू बहा रहा सानगड़ी का प्राचीन सहानगढ़ किला

सानगडी का कीला वाट्सएप ग्रूप ने की इस प्राचीन धरोहर को बचाने की मांग

बुलंद प्रतिनिधि, साकोली - भंडारा जिले के साकोली तहसील में सानगडी गांव स्थित एकमात्र तोप वाला किला सहानगढ कीला, आज अपनी पुरातन छवि को खोकर बदहाली के आंसू बहा रहा है। किले का रखरखाव व इसके विकास पर ध्यान नही दिये जाने पर आज ये अतीत के झरोखे में विलुप्त सा दिखाई दे रहा है। सानगडी के इस प्राचिन किले के संवर्धन को लेकर तथा इसके विकास के लिये सानगडी के एक युवक द्वारा कुछ साल पूर्व एक वाट्सअप ग्रूप सहानगडी का किल्ला नाम से बनाया गया था। ये ग्रूप आज भी सहानगड किले की डीपी के साथ गोंदिया-भंडारा जिले में चर्चा में है।

इस ग्रूप में सांसद, विधायक, क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधी, अनेक राजनीतिक लोग जुडे हुए हैं। मकसद सिर्फ सानगडी के इस किले को बचाना, उसका सन्वर्धन और विकास था। पर अब ये ग्रूप असल हकीकत से परे जाकर सिर्फ वॉट्सअप ग्रूप ही रह गया। किसी को सहानगड किले के विकास को लेकर रुची दिखती दिखायी नही दे रही।

सानगडी का कीला वाट्सएप ग्रूप के एडमिन व सदस्य इंजी. तनय पनपालिया कहते हैं- सानगडी का किल्लां वाट्सएप ग्रुप बनाने का उद्देश्य यही था कि इससे जुडने वाले लोग किले कि दुर्लक्षता को देख इसके विकास के लिये कदम बढाये, परंतू आज कई साल बीत गये, कोई भी जनप्रतिनिधी किले के विकास के लिये सामने नही आया। उन्होने जनप्रतिनिधीयों से विनंती कि है कि सहानगड किले के विकास लिये पर्यटन निधि दिलाने ध्यान केंद्रीत करें। विशेष यह है कि सानगडी का ये किला भंडारा जिले के साकोली तहसील में साकोली से मात्र 14 किमी कि दुरी पर हैं। जिले के 5 प्राचीन किले में सानगडी का ये किला एकमात्र तोप वाला किला हैं, जहा 10 फुट लंबी तोप है। यहाँ मंदिर होने से इसे तोपेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस किले का निर्माण शिवनी के दिवान परिवार ने किया था। दिवान का भंडारा जिले के राजोली एवं चांदा के गेवर्धा में जमीनदारी थी। कुछ लोग ये भी बताते है कि नागपुर के भोसलें राजघराने के काल में 1867 के दौरान साकोली से ज्यादा सानगडी को अधिक महत्व दिया जाता था। ये कीला एक तालाब के किनारे एक छोटी उंचाई पर स्थित हैं। पर्यटको की अच्छी भीड यहा देखी जा सकती है। मंदिर होने व तोप होने से इस किले को अधिक महत्व दिया जाता है। अगर जनप्रतिनिधियों ने इस प्राचीन धरोहर को बचाने विशेष ध्यान दिया तो, ये किला भंडारा की शान कहा जाने लगेगा।

सेवा पखवाड़ा अभियान का समापन कर्तव्यपथ दिंडी का आयोजन

बुलंद गोंदिया - सामाजिक न्याय विभाग द्वारा सेवा पंडरवाड़ा (कार्तव्यपथ) अभियान के तहत 15 सितंबर से 02 अक्टूबर तक विभिन्न गतिविधियों को क्रियान्वित किया गया। अभियान का समापन 02 अक्टूबर 2022 को लाल बहादुर शास्त्री जयंती महात्मा गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर कर्तव्यपथ दिंडी का आयोजन करके किया गया। पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए सरकारी छात्रावास, आरटीओ नाका के माध्यम से कार्तव्यपथ दिंडी का आयोजन कर किया गया। कर्तव्यपथ दिंडी का शुभारंभ सहायक आयुक्त समाज कल्याण विनोद मोहतूरे द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की मूर्तियों पर माल्यार्पण और पूजा कर व हरी झंडी फहराकर किया गया। उक्त समापन कार्यक्रम की सम्पूर्ण योजना सावरबंधे, गृहपाल सरकारी छात्रावास पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए गोंदिया द्वारा की गई थी। कार्यक्रम में एस.बी. भंडारकर, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण एवं कार्यालय के समस्त कर्मचारी, पिछड़ा वर्ग बालक एवं बालिका छात्रावास, आरटीओ नाका एवं मौजा कुड़वा स्टाफ, छात्र एवं आवासीय विद्यालय नंगपुरा मुर्री प्राचार्य, गृहपालशिक्षक आदि उपस्थित थे।

खेल से खिलवाड़

हमारे देश में सरकारी योजनाएं किस तरह भ्रष्टाचार और कदाचार का शिकार हो जाती हैं, यह किसी से छिपा नहीं है।

युवाओं में खेल-कूद को बढ़ावा देने के लिए सरकारें अनेक योजनाएं चलाती हैं। मकसद है कि क्षेत्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगताओं के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए हर जिले में खेल अधिकारी नियुक्त हैं, जो खिलाड़ियों के कौशल को निखारने की जिम्मेदारी निभाते हैं।

मगर हमारे देश में सरकारी योजनाएं किस तरह भ्रष्टाचार और कदाचार का शिकार हो जाती हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए चलाई जा रही योजनाएं भी इससे अछूती नहीं हैं। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित एक खेल प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए तैयार भोजन को शौचालय में रखने की घटना है। जब उस घटना का वीडियो बड़े पैमाने पर प्रसारित हो गया, तब प्रशासन की नींद खुली और खुद जिलाधिकारी ने घटना की जांच कर रिपोर्ट सौंपी।

सरकार ने तत्काल संबंधित अधिकारी को निलंबित और भोजन की व्यवस्था संभालने वाले ठेकेदार को काली सूची में डाल दिया। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे जिला खेल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खिलाड़ियों की सुविधाओं के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मगर इस घटना और सरकार की सख्ती से दूसरे जिला खेल अधिकारियों ने कितना सबक सीखा होगा, कहना मुश्किल है।

खेल के नाम पर खेल संघों, स्टेडियमों, खेल प्रशिक्षण केंद्रों आदि में खिलाड़ियों की सुविधाओं का कितना ध्यान रखा जाता है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि समय-समय पर भोजन की गुणवत्ता, मात्रा, खिलाड़ियों के साथ प्रशिक्षकों के बर्ताव आदि को लेकर शिकायतें आम हैं। दरअसल, ज्यादातर जगहों पर खिलाड़ियों को भोजन उपलब्ध कराने का काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है।

खासकर जब खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं, तो भोजन की व्यवस्था ठेकेदार ही करते हैं। यह छिपी बात नहीं है कि ठेका देने में किस तरह कमीशनखोरी शामिल होती है। जाहिर है, इस तरह ठेकेदार भोजन की गुणवत्ता गिरा कर अपनी कमाई बढ़ाने का प्रयास करते हैं। घटिया आहार उपलब्ध कराते हैं। कम से कम कारीगरों से काम चलाना चाहते हैं। सहारनपुर वाले मामले में भी यही हुआ।

तीन सौ खिलाड़ियों के लिए भोजन तैयार करने को मात्र दो कारीगर रखे गए थे। हद तो यह कि तैयार भोजन शौचालय में रखवाया गया, जहां से लेकर खिलाड़ियों को खाना था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भोजन रखने में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसे तैयार करने में कितना ध्यान दिया जाता होगा।

सहारनपुर की घटना से एक बार फिर यह उजागर हुआ है कि खेलों को प्रोत्साहन देने की जिम्मेदारी निभाने वाले खुद किस तरह का खेल करते हैं और उनके मन में खिलाड़ियों के प्रति कितना सम्मान है। जब वे खिलाड़ियों को ठीक से भोजन नहीं करा सकते, उनके खानपान में साफ-सफाई का ध्यान नहीं रख सकते, तो भला उनके मन में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का संकल्प कितना दृढ़ होगा।

ऐसा नहीं माना जा सकता कि खेल अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि खिलाड़ियों के जीवन में आहार की क्या अहमियत होती है, खराब गुणवत्ता और दूषित भोजन से उनकी सेहत पर क्या असर पड़ सकता है। मगर उन्हें योजना के पैसे में हेराफेरी और खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा का भाव इस तकाजे पर कभी गंभीरता से सोचने का अवसर ही नहीं देता। खिलाड़ियों की सेहत और प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों पर सख्त नजर बहुत जरुरी है।

शतचंडी महायज्ञ व श्रीमद् देवीकथा हजारों श्रद्धालु ले रहे लाभ

प्रतिदिन जय अंबिका सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा आयोजन

बुलंद गोंदिया - शारदीय नवरात्र का पावन पर्व गोंदिया में भव्य, धूमधाम व भक्ति भाव से आयोजन किया जाता है। इसी के अंतर्गत जय अंबिका सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति, दशहरा मैदान के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर श्री शतचंडी महायज्ञ व श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन दशहरा मैदान सिंधी कॉलोनी गोंदिया में किया गया है। जिसका लाभ हजारों श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिदिन लिया जा रहा है। श्री शतचंडी महायज्ञ के प्रमुख पुजारी के रुप में वृंदावन से पधारे पंडित मनीष शुक्ला द्वारा कराया जा रहा है। उसके साथ ही श्रीमद् देवी भागवत कथा अनंतश्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के उपपात्र स्वामी श्री श्रवणानंद सरस्वती जी के मुखारविंद से कहीं जा रही है। उपरोक्त सभी आयोजनों को भव्य रुप से आयोजित करने के लिए समिति के अध्यक्ष दिलीप गोपलानी के साथ-साथ समिति के पदाधिकारी व शहर की विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा विशेष सहयोग दिया जा रहा है।

संपूर्ण विदर्भ में पहली बार आयोजन

श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होता ही है, किंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार जय अंबिका सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति द्वारा संपूर्ण विदर्भ में पहली बार श्रीमद् देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जिसका लाभ गोंदिया शहर व जिले के साथ-साथ आसपास के जिले के हजारों श्रद्धालुओं द्वारा कथा पंडाल में पहुंचकर प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक श्रवण कर लिया जा रहा है।

भव्य कलश यात्रा

नवरात्र के प्रथम दिन श्री शतचंडी महायज्ञ व श्रीमद् देवी भागवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया था। जिसमें सैकड़ों महिलाओं द्वारा इसमें शामिल होकर माता के कलश हो को धारण किया था।

जंगली हाथियों के झुंड के हमले में एक किसान की मौत एक गंभीर जख्मी

नवेगांवबांध वन परिक्षेत्रा के तिड़का जब्बारखेड़ा परिसर की घटना

बुलंद संवाददाता अर्जुनी मोरगांव - गोंदिया जिले में गत 15 दिनों से जंगली हाथियों के झुंड ने प्रवेश किया है। 29 सितंबर से उनका झुंड नवेगांवबांध वन परीक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तिड़का जब्बर टोला परिसर के वन क्षेत्र में बना हुआ है। जिसमें जंगली हाथियों के झुंड द्वारा 4 अक्टूबर की सुबह अचानक हमला किए जाने के चलते ग्राम तिड़का निवासी सुरेंद्र जेठू कढ़ईबाग (55) आदिवासी किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा जवरु कोरेटी (45) किसान जख्मी हो गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के जंगलों से हाथियों का एक झुंड गड़चिरोली होते हुए करीब 15 दिनों पूर्व गोंदिया जिले की सीमा में पहुंचकर वन क्षेत्र परिसर में अपना डेरा जमाया हुआ है। झुंड 29 सितंबर से अर्जुनी मोरगांव तहसील के तिड़का आदिवासी परिसर में अपना डेरा बनाया हुआ है। उपरोक्त आदिवासी क्षेत्र में आजीविका के लिए किसानों द्वारा कृषि का कार्य किया जाता है। जंगली हाथियों से होने वाले नुकसान से अपनी फसल को बचाने के लिए तिड़का निवासियों द्वारा वन विभाग की जानकारी के अनुसार 3 अक्टूबर की रात संपूर्ण गांव वाले जमा होकर हाथियों के झुंड को भगाने के लिए डफली, बाजे व मशाल लेकर अपनी खेती की रक्षा करने का प्रयास किया था। जिसके चलते हाथियों का झुंड जंगल की दिशा की ओर चला गया। 4 अक्टूबर की सुबह 7 बजे के दौरान जंगली हाथियों से कृषि को कितना नुकसान हुआ, देखने के लिए 25 से 30 आदिवासी किसान खेत परिसर में गए। इसी दौरान आराम कर रहे हाथी के झुंड ने नागरिकों के समूह को देखकर अचानक आक्रमण हो गया तथा उन पर हमला कर दिया। इस हमले में किसान सुरेंद्र कढ़ईबाग की घटना स्थल पर ही मौत हो गई तथा जवरु कोरेटी जख्मी हो गया।

उपरोक्त घटना की जानकारी वन विभाग को प्राप्त होते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे व पुलिस की सहायता से मृतक को नवेगांवबांध के ग्रामीण चिकित्सालय में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया व जख्मी को नवेगांवबांध के ग्रामीण चिकित्सालय में दाखिल कराया गया। ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया कि उपरोक्त घटना वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हुई है। उपरोक्त क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड तथा बाघ व अन्य हिंसक प्राणियों का भय हमेशा बना रहता है। जिसका बंदोबस्त वन विभाग द्वारा किया जाए, ऐसी मांग आदिवासी किसानों द्वारा की गई। इस घटना के दौरान वहां पर वन विभाग के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे लेकिन घटना घटित होते ही वे घटनास्थल से भाग गए। आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाकर भागने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है।

मरनेवाले के परिजनों को तत्काल शासकीय सहायता दे - पालक मंत्री

वन विभाग के अंतर्गत आनेवाले नवेगांवबांध वन परिक्षेत्र के जब्बारटोला के कक्ष क्रमांक 197 के संरक्षित वन क्षेत्र में 4 अक्टूबर 2022 की सुबह 7 बजे जंगली हाथी के हमले में मृतक किसान सुरेंद्र कढ़ईबाग के परिजनों को तत्काल शासकीय सहायता उपलब्ध कराने तथा जख्मी का उपचार करवाकर उसे भी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश गोंदिया जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार द्वारा वन विभाग को दिया गया। इसके साथ ही वन विभाग को निर्देश दिया है कि उपरोक्त जंगली हाथियों के झुंड को वापस छत्तीसगढ़ राज्य की ओर भेजने के लिए उपाय योजना करें।

माँ जगदंबा धाम में प्रतिदिन नि:शुल्क महाप्रसाद का वितरण

बुलंद गोंदिया - गोंदिया शहर के आस्था का केंद्र जगदंबा धाम, दुर्गा चौक में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माता का दर्शन कर आशीर्वाद लेने के साथ ही मां जगदंबा धाम नगर उत्सव समिति द्वारा प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन कर डेढ़ से दो हजार श्रद्धालुओं को नि:शुल्क महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि गोंदिया का मां जगदंबा धाम संपूर्ण शहर के साथ-साथ गोंदिया जिले व आसपास के जिलों में भी अपनी ख्याति प्राप्त कर चुका है। जिसमें प्रतिदिन शहर के अलावा जिले, पड़ोसी राज्य के जिलों से श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नगर उत्सव समिति द्वारा नवरात्र के दौरान दोनों समय आरती पूजन के पश्चात प्रसाद वितरण व शाम को महाप्रसाद वितरण का कार्य निरंतर कर रही है।

गोंदिया में विराजमान जगतजननी माँ भवानी के दर्शन

माँ काली मंदिर अखंड ज्योत
रामनगर

माँ काली मंदिर
रामनगर

श्री ब्रह्मवाड़ी मंदिर ट्रस्ट
अंबाजीधाम, गोयल चौक

श्री सार्वजनिक जय माँ नवदुर्गा उत्सव समिति
मामा चौक

श्री एकता दुर्गा उत्सव समिति
होटल कस्तुर के सामने, रेलटोली

माँ दुर्गा उत्सव समिति
गड्ढाटोली

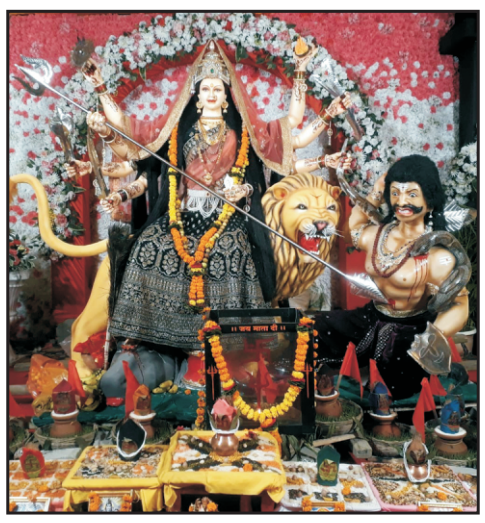

माँ नवदुर्गा उत्सव समिति
न्यू लक्ष्मी नगर

संयुक्त सदस्य सेवा समिति,
जेएम हाईस्कूल, कन्हारटोली

श्री टॉकीज चौक दुर्गा उत्सव समिति
टॉकीज चौक

श्री साईं दुर्गा उत्सव समिति
पंचवटी देवस्थान, मढ़ी चौक

नया गंज दुर्गा उत्सव समिति
कृषी उत्पन्न बाजार समिती

माँ दुर्गा उत्सव समिति
दुर्गा चौक गणेश नगर

माँ भवानी मंदिर
भवानी चौक

श्री जगदंबा धाम नगर उत्सव समिति
दुर्गा चौक

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशक व संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल द्वारा बुलंद गोंदिया साप्ताहिक समाचार पत्र भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरुनानक वार्ड, गोंदिया, ता.जि.गोंदिया से मुद्रित व बुलंद गोंदिया भवन, जगन्नाथ मंदिर के पास गौशाला वार्ड, गोंदिया ४४१६०१, ता.जि.गोंदिया से प्रकाशित। संपादक : संपादक नवीन माणिकचंद अग्रवाल, मो.क्र. ९४०५२४४६६८। (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिये जिम्मेदार) प्रकाशित किये गये समाचार व लेख से संपादक सहमत है। न्यायालय क्षेत्र गोंदिया।